

न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम, जहानाबाद
जिला-जहानाबाद (बिहार)
सत्रवाद सं०- 10012/2003
जहानाबाद थाना कांड संख्या 66/2022, जिला-जहानाबाद

Date of order	Order	Remarks
23-07-2025	अभियुक्त सिकंदर यादव अनुपस्थित हैं। अभियुक्त सिकंदर यादव विगत कई वर्षों से लगातार आज तक अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिस कारण उनके वाद को मूल सत्रवाद से पृथक कर अलग खोला गया। इस पृथक वाद में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु उसके विरुद्ध 85 बी.एन.एस. का प्रोसेस निर्गत किया जा चुका है जिसका तामिला प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की उपस्थिति निकटतम भविष्य में संभावना नहीं लग रही है। अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया है कि अभियुक्त की उपस्थिति के पश्चात् 335 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति के पश्चात् प्रस्तुत करेंगे। अतः अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें एवं अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित A.D.J.VIII जहानाबाद।	

--	--	--

Web Copy, Civil Court Jehanabad